जाँच आदेश बवत दि० 06/3/26 को पेश हो

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (तैरथल-तिजारा)

6/3/26
पत्रावली पेश। प्रार्थी [illegible] उपस्थित। प्रार्थी का ज्ञापन को खारिज किया जाता है [illegible] [illegible] से लिया जाकर पत्रावली शामिल किया जावे। पत्रावली [illegible] नम्बर [illegible] के पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (तैरथल-तिजारा)

# न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र संख्या 130/2025 | दायर दिनांक 09.06.2025 | आदेश दिनांक 06.03.2026

**बउनवान**

1. अतरसिंह पुत्र महाराम जाति जाट निवासी भानोत तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– प्रार्थी

**बनाम**

1. कालूराम पुत्र महाराम जाति जाट निवासी भानोत तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
2. सुभाष पुत्र महाराम जाति जाट निवासी भानोत तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
4. सहायक अभियन्ता जे0 वी0 वी0 एन0 एल0 शाखा मुण्डावर
5. कनिष्ठ अभियन्ता जे0 वी0 वी0 एन0 एल0 शाखा मुण्डावर।

–: अप्रार्थीगण

श्री हसंराज यादव –: प्रार्थी अधिवक्ता
श्री सतीश यादव –: अप्रार्थी अधिवक्ता

**प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित**
**धारा 151 जा0 दी0 व धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

प्रार्थना पत्र मिन प्रार्थी की और से निम्न प्रकार पेश है।

1. यह है कि उपरोक्त अनुवान का वाद अदालत श्रीमान के समक्ष विस्तृत वाकेयात के साथ पेश किया जा रहा है। जिसमें मिन प्रार्थी को कामयाबी की पूरी पूरी आशा है।
2. यह है कि उपरोक्त अनुवान के वाद में मिन प्रार्थी ने दस्तावेजात व शपथ पत्र पेश किया है। जिससे प्रार्थी का केस प्रायमा फैसाई पूर्णत आयद वो साबित है।
3. यह है कि आराजी हाल ख0नम्बर 465 रकबा 0.16 है0, 708 रकबा 0.01 है0 ख0न0 709 रकबा 0.84 है0 वाके ग्राम भानोत तह0 मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राज0 में स्थित है, जो आराजी इस वाद में विवादित आराजी कहलायेगी। मुलाहिजा हाल जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 संलग्न वाद है।
4. यह है कि उक्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी स0 1 व 2 की शामलाती कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है जिसमें वादी अपने हिस्से पर काबिज होकर शान्तिपूर्वक तरीके से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है

सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

उक्त आराजी का आज तक कोई विधिक तकासमा नही हुआ है। अबैट आराजी है।

5. यह है कि उक्त विवादित आराजी ख0 न0 708 व 709 में प्रार्थी के हिस्से में आई आराजी में अप्रार्थी स0 1 ने जबरदस्ती नई बोरिंग कर उसमें नया विद्युत कनैक्शन लेने की जूगतजू में है जबकि उक्त विवादित आराजी ख0न0 708 व 709 में अप्रार्थी को इस तरह का कोई कानूनी अधिकार नहीं है लेकिन जबरदस्ती बिजली विभाग के अधिकारीयो से व ठेकेदारो से साजबाज होकर अप्रार्थी स० 1 उक्त विवादित आराजी में प्रार्थी के हिस्से पर आई आराजी में जबरदस्ती ड्रॉपिंग कनैक्शन (नर्सरी कनैक्शन) लेना चाहता है। अगर अप्रार्थी स० 1 उक्त आराजी में प्रार्थी के हिस्से में आई आराजी में ड्रोपिंग कनैक्शन कर दिया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। और उक्त कनैक्शन से कोई भी जनहानी होने के सम्भावना है। अप्रार्थी स० 1 व 2 मूठ मर्द व लडाकू प्रवृति के आदमी है कानून की कतई प्रवाह नही करते है। आये दिन प्रार्थी के साथ लडाई झगडा करते है। दिंनाक 8/6/2025 को वादी की अनुसपस्थिती में पीछे से उक्त ख0 न0 में विद्युत विभाग के कर्मचारी व ठेकेदार ने पोल गाडकर जबरदस्ती तार खेच दिये और अब डी.पी. लगाने की जूगतजू में है उक्त आराजी अबट आराजी है अप्रार्थीगण को उक्त आराजी में कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

6. यह है कि उक्त विवादित आराजी में अगर विधूत कनैक्शन कर दिया तो मिन प्रार्थी के हिस्से में आई आराजी में काफी नुकसान हो जावेगा। अप्रार्थी स0 1 व 2 जबरदस्ती प्रार्थी के हिस्से पर कब्जा कर लेगे। अतः उक्त आराजी में प्रार्थी के अधिकार रक्षित है इसलिए अपने अधिकारो की रक्षार्थ दावा हु0 ई0 दवामी व तकासमा पेश करना लाजिमी आया है।

7. यह कि विवादित आराजी सामलाती होने के कारण सुविधा का सन्तुलन व बैलेंस ऑफ कन्वीनेंस मिन प्रार्थी के पक्ष में आयद वो साबित है तथा यदि वाकई अप्रार्थीगण द्वारा मिन प्रार्थी के हिस्से पर जबरन विधूत कनैक्शन ले लिया गया तो प्रार्थी को नापूर्ती होने वाली क्षति होगी। जिसकी पूर्ती किसी भी प्रकार से रूपयै पैसों में नहीं आंकी जा सकेगी तथा दावा करना ही बैमायना हो जावेगा। चूँकि मिन प्रार्थी के अधिकार कानून द्वारा रक्षित है। इसलिए मिन प्रार्थी अपने अधिकारों की रक्षार्थ अप्रार्थीगण को हु० ई० दवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी है। इसलिए दावा हु० ई० दवामी पेश करना लाजिमी आया है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि :–

अतः प्रार्थना पत्र हु० ई० दवामी पेशकर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को ता:फेसला दावा स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण सं0 1 ल0 2 आराजी ख0नम्बर 465 रकबा 0.16 है0, 708 रकबा 0.01 है0 ख0 न0 709 रकबा 0.84 है0 वाके ग्राम भानोत तह० मुण्डावर में स्थित पर कोई विधूत कनैक्शन जारी करे, ना कोई डी.पी. लगाये ना तार खिचे। व अप्रार्थी 3 को पाबन्द किया जावे कि वो विवादित आराजीयत के कोई दस्तावेजात पंजिबद्ध नही करे, व अप्रार्थी स० 4 व 5 को पाबन्द किया जावे कि वो उक्त आराजी में कोई विधूत कनैक्शन जारी नही करे व मौके एवं राजस्व रिकोंड की यथास्थिति बनाये रखे। हल्फनामा संलग्न है।

सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

जवाब प्रार्थना पत्र ओदश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा0 दी० व धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मिन अप्रार्थी सं0 1 व 2 की ओर से निम्न प्रकार पेश है।

1. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 1 बाबत प्रार्थना पत्र है, गलत है, प्रार्थी को कामयाबी की आशा नहीं रखनी चाहिए।
2. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 2 गलत है, स्वीकार नहीं है, प्रार्थी ने दस्तावेज गलत पेश किये है, तथा शपथ पत्र भी गलत है, प्रार्थी का केश प्रायमा फैसाई साबित नहीं होता है।
3. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 3 बाबत आराजी है जो वाके ग्राम भानोत तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित है सही है स्वीकार है।
4. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 4 इतना स्वीकार है कि विवादित आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सामलाती कब्जे काश्त की आराजी है। मिन अप्रार्थीगण मुताबिक रिकोर्ड काबिज काश्तकार है। तथा उक्त आराजी का अर्सा दराज से बंहामी बंटवारा कर रखा है तथा मिन अप्रार्थी सं० 1 व 2 अपने बंहामी बंटवारे के अनुसार हिस्से आयी आराजी पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। मौके पर कोई विवाद आराजी पर नहीं है।
5. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 5 जिस कदर बयान किया गया है कतई गलत है स्वीकार नहीं है। प्रार्थी के पास दो विधुत कनैक्शन अपनी आराजी की सिंचाई के लिये है मिन अप्रार्थी सं0 1 व 2 के पास अपनी आराजी की सिंचाई के लिये विद्युत कनैक्शन नहीं था तो मिन अप्रार्थी सं० 1 व 2 ने अपने हिस्से की आराजी में विधुत कनैक्शन लेना चाहा तो प्रार्थी ने मिन अप्रार्थी सं0 1 व 2 के विधुत कनैक्शन को रूकवाने के लिये झूठे तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी का मिन अप्रार्थी सं० 1 व 2 की आराजी से कोई संबंध व सरोकार नहीं है क्योंकि प्रार्थी व अप्रार्थीगण ने अपनी अपनी आराजी का अर्सा दराज से बंहामी बंटवारा कर रखा है तथा अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। प्रार्थी मिन अप्रार्थी का कनैक्शन रूकवाने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया है। तथा दिनांक 08/06/2025 की कहानी मिथ्या व मनघंडत दर्ज की है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है जो काबिल खारिज है खारिज फरमाया जावे।
6. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 6 गलत है स्वीकार नहीं है। मिन अप्रार्थी सं० 1 व 2 अपने हिस्से आयी आराजी पर विधुत कनैक्शन ले रहे है ना कि प्रार्थी के हिस्से की आराजी पर प्रार्थी मिन अप्रार्थी सं० 1 व 2 से दिली रंजिश रखता है जो मिन अप्रार्थी सं0 1 व 2 के कनैक्शन को रूकवाने के लिये उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी मिन अप्रार्थी सं० 1 व 2 को हु० ई० दवामी के किसी भी अनुतोष से पाबंद कराने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है खारिज फरमाया जावे।
7. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 7 गलत है स्वीकार नहीं है। प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र में कोई सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ती होने वाली क्षति कारित नहीं होती है। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र मिन अप्रार्थी सं0 1 व 2 को तंग व परेशान करने की नियत से पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है काबिल खारिज है खारिज फरनाया जावे। प्रार्थी मिन अप्रार्थी सं० 1 व

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०) मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

2 को हु० ई० दवामी के किसी भी अनुतोष से पाबंद कराने का अधिकारी नहीं है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। श्रीमानजी की महति कृपा होगी।

प्रार्थी की ओर से संक्षिप्त बहस

प्रथमदृष्टया (Prima Facie) मामला

विवादित आराजी खसरा नम्बर 465, 708 व 709 ग्राम भानोत, तहसील मुण्डावर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है। उक्त तथ्य को स्वयं अप्रार्थीगण ने अपने जवाब के पैरा 4 में स्वीकार किया है। अतः यह निर्विवाद है कि भूमि संयुक्त है तथा आज दिनांक तक विधिक बंटवारा (तकासमा) नहीं हुआ है। संयुक्त खातेदारी भूमि में किसी एक सह–खातेदार को यह अधिकार नहीं है कि वह अन्य सह–खातेदार की सहमति के बिना स्थायी निर्माण करे, विद्युत पोल गाड़े, डी.पी. स्थापित कराये, विद्युत कनेक्शन स्थापित कराये। अतः प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला पूर्णतः सिद्ध होता है।

अधिकार का अतिक्रमण

अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने जबरन विद्युत विभाग से मिलकर पोल गाड़ दिये, तार खींच दिये, डी.पी. लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि भूमि संयुक्त है। संयुक्त भूमि में इस प्रकार का स्थायी ढांचा स्थापित करना अन्य सह–खातेदार के अधिकारों का स्पष्ट अतिक्रमण है। यदि एक बार डी.पी. स्थापित हो गई तो– स्थायी संरचना बन जाएगी, कब्जे का विवाद उत्पन्न होगा, भविष्य में बंटवारा प्रभावित होगा।

अपूर्णीय क्षति (Irreparable Loss)

विद्युत डी.पी. स्थापित होने के बाद, भूमि का उपयोग सीमित हो जाएगा, कृषि कार्य बाधित होगा, दुर्घटना/जनहानि की संभावना रहेगी, बाद में हटाना व्यावहारिक रूप से अत्यन्त कठिन होगा। ऐसी क्षति का प्रतिकार केवल धनराशि से संभव नहीं है। अतः प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होना निश्चित है।

सुविधा का संतुलन (Balance of Convenience)

यदि अस्थाई निषेधाज्ञा दी जाती है – अप्रार्थीगण को कोई विशेष हानि नहीं होगी। (वे विधिक बंटवारे के बाद कनेक्शन ले सकते हैं) परंतु यदि निषेधाज्ञा नहीं दी गई – प्रार्थी के खातेदारी अधिकार स्थायी रूप से प्रभावित हो जाएंगे। अतः सुविधा का संतुलन स्पष्ट रूप से प्रार्थी के पक्ष में है।

कानूनी स्थिति

विधि का स्थापित सिद्धांत है कि –संयुक्त खातेदारी भूमि में बिना सह–खातेदार की सहमति स्थायी निर्माण अथवा संरचना स्थापित नहीं की जा सकती। विद्युत डी.पी. एक स्थायी संरचना है, अतः यह भी उसी श्रेणी में आता है।

प्रार्थना

अतः माननीय न्यायालय से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण को तारीख फैसला तक निम्न कार्यों से रोका जावे –

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

विवादित आराजी पर विद्युत कनेक्शन जारी करने से, डी.पी. लगाने से, पोल गाड़ने एवं तार खींचने से, राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन करने से, एवं यथास्थिति (Status&quo) बनाये रखने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

अप्रार्थीगण की ओर से संक्षिप्त बहस

1. कोई प्रथमदृष्टया मामला (Prima Facie Case) नहीं

यह सत्य है कि विवादित आराजी संयुक्त खातेदारी की है, परन्तु यह भी उतना ही सत्य है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य अर्सा दराज से आपसी बंटवारा (बंहामी बंटवारा) हो रखा है तथा सभी पक्षकार अपने–अपने हिस्से की भूमि पर पृथक–पृथक काबिज होकर खेती–बाड़ी करते चले आ रहे हैं। अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा विद्युत कनेक्शन अपने हिस्से की भूमि में लिया जा रहा है, न कि प्रार्थी के हिस्से में। प्रार्थी ने केवल विद्युत कनेक्शन रुकवाने की दुर्भावना से यह वाद प्रस्तुत किया है।

अतः प्रार्थी का कोई प्रथमदृष्टया अधिकार सिद्ध नहीं होता।

2. कोई अधिकार हनन नहीं

अप्रार्थी अपने कब्जे की भूमि पर कृषि सिंचाई हेतु विद्युत कनेक्शन ले रहे हैं। प्रार्थी के पास पूर्व से ही दो विद्युत कनेक्शन उपलब्ध हैं। प्रार्थी का अप्रार्थी के हिस्से से कोई सरोकार नहीं है। केवल सिंचाई हेतु विद्युत कनेक्शन लेना खातेदार कृषक का वैध अधिकार है, इसे रोका नहीं जा सकता।

3. अपूर्णीय क्षति का अभाव (No Irreparable Loss)

प्रार्थी ने किसी प्रकार की वास्तविक हानि या क्षति सिद्ध नहीं की है।

न तो– उसकी भूमि पर कब्जा हो रहा है, न उसकी खेती बाधित हो रही है, यदि भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न होता भी है तो उसका समाधान राजस्व न्यायालय में संभव है। अतः किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति नहीं है।

4. सुविधा का संतुलन अप्रार्थी के पक्ष में

यदि अस्थाई निषेधाज्ञा दी जाती है – अप्रार्थीगण की फसल की सिंचाई रुक जाएगी, कृषि कार्य प्रभावित होगा, गंभीर आर्थिक नुकसान होगा, जबकि निषेधाज्ञा नहीं देने पर – प्रार्थी को कोई वास्तविक हानि नहीं होगी

अतः Balance of Convenience अप्रार्थीगण के पक्ष में है।

5. प्रार्थना पत्र दुर्भावनापूर्ण

प्रार्थी ने दिनांक 08.06.2025 की घटना झूठी व मनगढ़ंत दर्शाई है, केवल अप्रार्थीगण को परेशान करने के उद्देश्य से वाद प्रस्तुत किया है, प्रार्थी का उपाय यदि कोई है तो विधिक बंटवारा (तकासमा) कराना है, न कि कृषक को सिंचाई सुविधा से वंचित करना।

प्रार्थना

अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज किया जावे।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

संक्षिप्त विवेचन

प्रार्थी अतरसिंह द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध विवादित आराजी खसरा नम्बर 465, 708 व 709 ग्राम भानोत, तहसील मुण्डावर स्थित भूमि पर विद्युत कनेक्शन जारी करने, डी.पी. स्थापित करने तथा पोल/तार खींचने से रोकने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. व धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी का कथन है कि विवादित भूमि संयुक्त खातेदारी की है तथा अप्रार्थीगण प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर जबरन विद्युत कनेक्शन स्थापित कर रहे हैं, जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी।

इसके विपरीत अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में यह स्वीकार किया है कि भूमि संयुक्त खातेदारी की है, किन्तु यह स्पष्ट किया है कि पक्षकारों के मध्य अर्सा दराज से आपसी बंटवारा (बंहामी बंटवारा) होकर सभी पक्ष अपने–अपने हिस्से पर पृथक कब्जे में काश्तकारी कर रहे हैं तथा प्रस्तावित विद्युत कनेक्शन उनके स्वयं के कब्जे की भूमि में लिया जा रहा है।

प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह प्रथम दृष्टया प्रमाणित हो सके कि प्रस्तावित विद्युत कनेक्शन प्रार्थी के वास्तविक कब्जे की भूमि पर ही स्थापित किया जा रहा है। केवल संयुक्त खातेदारी होना मात्र इस बात का प्रमाण नहीं है कि प्रत्येक कार्य प्रार्थी के अधिकारों का अतिक्रमण है, विशेषकर जब कब्जा पृथक–पृथक होना बताया गया है। अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करने हेतु निम्न तीन आवश्यक तत्वों का होना आवश्यक है–

1. प्रथमदृष्टया मामला
2. सुविधा का संतुलन
3. अपूर्णीय क्षति

प्रथमदृष्टया मामला

प्रार्थी यह स्थापित करने में असफल रहा है कि विद्युत कनेक्शन उसके कब्जे की भूमि पर ही स्थापित किया जा रहा है। इसके विपरीत अप्रार्थीगण अपने कब्जे की भूमि में सिंचाई हेतु कनेक्शन लेना बता रहे हैं। अतः प्रथमदृष्टया अधिकार का उल्लंघन सिद्ध नहीं होता।

अपूर्णीय क्षति

प्रार्थी द्वारा किसी वास्तविक या निश्चित अपूरणीय क्षति का प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। यदि भविष्य में किसी प्रकार का अतिक्रमण या अधिकार विवाद उत्पन्न होता है तो उसका प्रतिकार विधि द्वारा संभव है। अतः अपूर्णीय क्षति सिद्ध नहीं होती।

सुविधा का संतुलन

अप्रार्थीगण कृषि सिंचाई हेतु विद्युत कनेक्शन लेना चाहते हैं, जिसे रोके जाने पर उनकी खेती प्रभावित होगी, जबकि प्रार्थी को तत्काल कोई ठोस हानि प्रदर्शित नहीं होती। अतः सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में है। इस

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

प्रकार प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान किये जाने हेतु आवश्यक तत्वों को स्थापित करने में असफल रहा है।

आदेश

अतः प्रार्थी अतरसिंह द्वारा प्रस्तुत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. व धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र निराधार पाये जाने से खारिज किया जाता है।

**यह आदेश आज दिनांक 06.03.2026 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।**

(सृष्टि जैन)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

सहायक कलक्टर (फा.ट्रै.)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)